संख्या-17/2026/ ए029-20262027-001-151 (1908256)

प्रेषक,

राज कुमार झा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2026

विषय :-वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्तराज्जीय संचलन एवं उठाई, धराई तथा उचित दर विक्रेताओं के देय मार्जिन मनी संबंधी योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-ले0शा0/25/02/4408-NFSA/2026-27, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्तराज्जीय संचलन एवं उठाई, धराई तथा उचित दर विक्रेताओं के देय मार्जिन मनी संबंधी योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव दिनांक 09 अप्रैल, 2026 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भारत सरकार द्वारा SNA-SPARSH के अन्तर्गत Mother Sanction केन्द्रांश हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 7475.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 7475.00 लाख (केन्द्रांश 50 % एवं राज्यांश 50%) को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 14950.00 लाख (रू0 एक अरब उनचास करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अधोलिखित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>अनुदान संख्या-21</u> (धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक-4408-
खाद्य भण्डारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय-
01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104
-अन्तर्राज्यीय संचलन एवं उठाई, धराई, उचित दर विक्रेता
लाभांश (के050/रा050-के0+रा0)4048-UP267-43 सामग्री एवं सम्पूर्ति _________14950.00

योग ______ 14950.00

(रू0 एक अरब उनचास करोड पचास लाख मात्र)

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,49,50,00,000 (रुपये एक अरब उनचास करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 021 लेखा शीर्षक 4408011010104 अन्तर्राज्यीय संचलन एवं उठाई, धराई, उचित दर विक्रेता लाभांश (के.50/रा.50-के.+रा.) मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के अ0शा0संख्या-ई-7-5-दस-2026-27 दिनांक 20-04-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राज कुमार झा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अवनीन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।